न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता(I.A.S.)
अपील : 90 / 2025 निर्णय दिनांक : 18.05.2026
तारीख रज्जू : 28.10.2025

उनवान

1. बलबीर पुत्र बनवारी, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम खडब तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली –बहरोड राजस्थान। – अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़, राजस्थान। – रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.10.2025 प्रकरण संख्या 150 / 2025 बउनवान सरकार बनाम बलबीर, जिला कोटपूतली बहरोड़।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. वकील श्री संदीप बंसल अपीलान्ट की ओर से।

02. पैरोकार सरकार।

।। निर्णय ।।

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कोटपूतली के आदेश दिनांक 15.10.2025 जिसके द्वारा अपीलार्थी को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने एवं बेदखल किए जाने तथा लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष हल्का पटवारी खडब द्वारा एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार कोटपूतली के यहां इस आशय की पेश की कि सम्वत् 2081 में वाके ग्राम खडब तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नम्बर 38 / 16.38 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर, 32 / 1.48 हैक्टेयर में से 1.45 हैक्टेयर पर छड़ी डालकर एवं चारदीवारी बाड़ लगाकर बलबीर पुत्र बनवारी जाति गुर्जर निवासी खडब तहसील कोटपूतली ने अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर तहसीलदार कार्यालय से प्रार्थी के पास नोटिस जारी किये गये तथा प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित आया। इसके बाद तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रार्थी को जबाब का अवसर दिये बिना दिनांक 15–10–2025 को आदेश पारित करते हुये अपीलाण्ट को बेदखली व पेनल्टी वसूली के आदेश प्रदान किये जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी कभी भी मौके पर नही गया तथा ना ही उसने मौके पर कभी भूमि का नापतौल किया है ना ही पत्थरगढी की है, ना ही सीमा ज्ञान करवाया है। मात्र कयास के आधार पर उसने एक झूठी रिपोर्ट पेश की है। प्रार्थी / अपीलाण्ट द्वारा कोई गैर मुमकिन पहाड व चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है पटवारी हल्का ने बिना मौके की जांच किये गलत रिपोर्ट पेश की है। पटवारी की रिपोर्ट मौके की स्थिति के विपरित है। प्रार्थी का कोई कब्जा भूमि पर

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

नहीं है न उसने किया है, लेकिन गलत रिपोर्ट पेश की गई है। ऐसी स्थिति में भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। प्रार्थी का विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है प्रार्थी के पास सिचांई का कोई साधन नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर केवल बोरिंग की है इस बाबत का शपथ पत्र दे रखा है कि यदि आवश्यकता होगी तो इस बोरिंग को प्रार्थी स्वयं हटा लेगा। अन्त में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार कोटपूतली, बउनवानी मुकदमा सरकार बनाम बलबीर बाबत खसरा नम्बर 38/16.38 किस्म गैरमुमकिन पहाड़ व खसरा नम्बर 32/1.48 किस्म चारागाह वाके ग्राम खडब, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान, निर्णय दिनांक 15–10–2025 निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार का तर्क है कि पटवारी हल्का खड़ब तहसील कोटपूतली द्वारा आराजी खसरा नम्बर 38/16.38 है0 में से 0.03 है0,32/1.48 है0 में से 1.45 है0 पर छड़ी डालकर कब्जा चार दिवारी बाड़ लगाकर अतिक्रमण कि रिपोर्ट पेश करने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को धारा 91 (3)एलआरएक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी का नोटिस बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ सूचनापरान्त गैर सायल उपस्थित आए। कोई जवाब पेश नही किया। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन एवं मनन करने पर अपीलाण्ट/अतिक्रमी के द्वारा बार–बार उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार विधिवत् एवं सही तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है, जो सही है तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाने की कृपा करें।

हमने वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तथा कानून की मंशा देखी गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कोटपूतली की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर आराजी खसरा नम्बर 38/16.38 है0 में से 0.03 है0,32/1.48 है0 में से 1.45 है0 पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके लिए अपीलाण्ट को अतिक्रमण/कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट ने राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। अतः तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 15.10.2025 को पारित आदेश सही साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड